बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

अधिसूचना

संचिका सं0–7/विविध–25/2019 ..../ पटना, दिनांक–....................

SLP (C) No. 20/2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2018 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय परिपत्र संख्या–1713 दिनांक–28.12.2018 में शिक्षक नियोजन नहीं किये जाने से संबंधित निहित निर्देश को शिथिल किया जाता है।

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2012 (यथा संशोधित), बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) के नियम 17 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के निर्णयानुसार शिक्षक नियोजन नियमावली–2012 के क्रम में शिक्षक नियोजन से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी आदेशों, निदेशों एवं परिपत्रों को निम्न हद तक संशोधित करते हुए बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन सेवा शर्त्त) नियमावली, 2012 एवं बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2012 के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ष 2019–20 में शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई एवं प्रक्रिया के संबंध में निम्नांकित मार्गनिर्देश दिये जाते हैं :–

(मार्गनिर्देश)

1– नियोजन हेतु समय तालिका :– राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ष 2019–20 में शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई निम्नलिखित समय तालिका के अनुसार की जायेगी :

क्र0 सं0	विवरण	दिनांक
i	जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों का राज्यस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिनांक–25.07.2019 तक
ii	रिक्तियों का समेकन	दिनांक–29.07.2019 तक
iii	नियोजन से जुड़े कर्मियों का जिला एवं प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिनांक–03.08.2019 से 05.08.2019 तक
iv	जिला द्वारा रोस्टर का अनुमोदन एवं नियोजन इकाईयों को प्रेषण	दिनांक–16.08.2019 तक
v	सभी नियोजन इकाईयों द्वारा नियोजन हेतु सूचना का प्रकाशन	दिनांक–20.08.2019
vi	आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि	दिनांक–26.08.2019 से 25.09.2019 तक
vii	मेधा सूची की तैयारी	दिनांक–26.9.2019 से 11.10.2019 तक
viii	मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन	दिनांक–17.10.2019 तक
ix	मेधा सूची का प्रकाशन	दिनांक–21.10.2019 तक
x	मेधा सूची पर आपत्ति	दिनांक–22.10.2019 से 05.11.2019 तक
xi	आपत्तियों का निराकरण	दिनांक–11.11.2019 तक
xii	मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन	दिनांक–14.11.2019
xiii	जिला द्वारा पंचायत एवं प्रखंड के मेधा सूची का अनुमोदन	दिनांक–25.11.2019 तक
xiv	नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनीकरण	दिनांक–29.11.2019 तक
xv	आवेदन के साथ संलग्न स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्र से मिलान एवं चयन सूची का निर्माण	दिनांक–30.11.2019 से 07.12.2019 तक
xvi	नियोजन इकाई द्वारा नियोजन पत्र निर्गत करना	दिनांक–09.12.2019 से 13.12.2019 तक

2– नियोजन हेतु अर्हता तथा शिक्षक पदों की गणना एवं वितरण :– नियोजन हेतु शिक्षक पदों की गणना प्राथमिक कक्षाओं (वर्ग I से V) के लिए अलग तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (वर्ग VI से VIII) के लिए अलग की

जायेगी। नियोजन की अर्हता संगत नियमावली–2012 के अनुरूप होगी। उक्त नियमावली के तहत प्रशिक्षित एवं टी० ई०
टी० अर्हताधारित अभ्यर्थी ही नियोजन के लिए आवेदन कर सकेंगें। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि विभागीय आदेश
ज्ञापांक–837 दिनांक–02.07.2019 के आलोक में बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (BETET) 2012 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों
के उत्तीर्णता प्रमाण पत्र के वैधता की अवधि अगले दो वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है।

प्राथमिक कक्षाओं के लिए निम्नांकित तीन विषयों के शिक्षक पद के नियोजन हेतु शैक्षणिक योग्यता निम्नवत होगी :–

(क) सामान्य विषय के शिक्षक– (शैक्षणिक योग्यता–इन्टरमीडियट)

(ख) उर्दू भाषा के शिक्षक – (शैक्षणिक योग्यता– बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त मौलवी अथवा उर्दू योग्यताधारी अभ्यर्थी–50 अंकों के उर्दू में इन्टरमीडियट उत्तीर्ण)

(ग) बंगला भाषा के शिक्षक– (शैक्षणिक योग्यता –इन्टर में 100 अंकों का बंगला विषय में उतीर्ण)

एन० सी० टी० ई० की अधिसूचना दिनांक– 28.06.2018 के अनुसार एन० सी० टी० ई० द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा–स्नातक की उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी कक्षा I से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु योग्य माने जायेंगे। किन्तु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा।

इसी प्रकार उच्च प्राथमिक कक्षाओं (मध्य विद्यालय) के लिए आवश्यकतानुसार निम्नांकित विषयों के पद पर शिक्षकों के नियोजन हेतु शैक्षणिक योग्यता निम्नवत होगी :–

(क) स्नातक गणित एवं विज्ञान के शिक्षक (शैक्षणिक योग्यता) :–

(i) गणित, भौतिकी, रसायन में स्नातक

अथवा

(ii) रसायन, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान में स्नातक

अथवा

(iii) बी० सी० ए० योग्यताधारी

अथवा

(iv) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियावधि) विनियमन, 2014 के तहत इंजीनियरिंग से स्नातक, जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, को बी०एड० में नामांकन हेतु पात्रता निर्धारित की गयी है। तद्नरूप वैसे अभ्यर्थी, जो इन्जीनियरिंग से स्नातक, जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, तथा बी०एड० एवं BETET उत्तीर्ण हों, को "स्नातक गणित एवं विज्ञान" विषय में मध्य विद्यालय के शिक्षक के पद पर नियोजन की पात्रता होगी।

(ख) स्नातक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक (शैक्षणिक योग्यता–

(i) इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र में स्नातक स्तर में किसी दो विषय में उत्तीर्ण किन्तु इनमें एक पठित विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो।)

अथवा

(ii) बी० कॉम

(ग) स्नातक भाषा के शिक्षक (शैक्षणिक योग्यता– हिन्दी के लिए स्नातक स्तर पर पठित हिन्दी विषय अर्थात सहायक विषय अथवा प्रतिष्ठा के रूप में रखा गया हो तथा अंग्रेजी के लिए स्नातक स्तर पर पठित अंग्रेजी विषय अर्थात सहायक विषय अथवा प्रतिष्ठा के रूप में रखा गया हो।

(घ) संस्कृत भाषा के शिक्षक (संस्कृत में स्नातक / शास्त्री की डिग्री)

(ङ) उर्दू शिक्षक (शैक्षणिक योग्यता–आलीम की डिग्री अथवा उर्दू भाषा में स्नातक)

3--आरक्षण रोस्टर का पालन एवं बैकलॉग :– जिला के विभिन्न इकाईयों में रिक्त पदों की सूचना प्राप्त कर रोस्टर पंजी को भरा जाना अपेक्षित है। नियोजन में आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचनाओं / परिपत्रों के सापेक्ष दिया जाना है। इस क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण नियमावली 2019 के

तहत् आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण, संकल्प संख्या 13062 दिनांक 12.10.2017 के तहत् सभी पदों एवं सेवाओं में दिव्यांगजनों को 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, संकल्प संख्या 13185 दिनांक 03.09.2015 द्वारा बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतनी को नियुक्ति में 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ देय होगा।

4– महिलाओं के लिए पदों का निर्धारण :–प्रत्येक विषयक के प्रत्येक कोटि में नियोजन नियमावली के अनुसार 50 प्रतिशत महिलाओं का नियोजन होगा। महिला अभ्यर्थी नहीं मिलने पर यह पद रिक्त रहेंगें।

5–शिक्षक नियोजन हेतु सूचना का प्रकाशन :– प्रत्येक नियोजन इकाई के द्वारा अपने–अपने नियोजन इकाई के लिए निर्धारित तिथि को शिक्षक नियोजन हेतु सूचना का प्रकाशन निश्चित रूप से किया जायेगा। प्रकाशित सूचना में नियोजित किये जानेवाले शिक्षक पदों की कोटिवार संख्या का उल्लेख रहेगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्राम पंचायतों के द्वारा निर्धारित तिथि को सूचना का प्रकाशन कर दिया जाए। ग्राम पंचायतों द्वारा प्रकाशित सूचना की एक प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय के सूचनापट्ट पर भी प्रकाशित की जायेगी। इसी प्रकार प्रखंड एवं नगर निकाय के शिक्षकों के नियोजन से संबंधित सूचना प्रकाशन की प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रकाशित की जायेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा यथासंभव नियोजन सम्बन्धी सभी सूचनायें जिला के एन0 आई0 सी0 के वेबसाईट पर भी देने की कार्रवाई की जायेगी।

6–आवेदन पत्र :– किसी भी भारत के नागरिक के द्वारा आवेदन पत्र नियमानुसार संबंधित नियोजन इकाई के पास निर्धारित तिथि तक हाथो–हाथ अथवा निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा। आवेदन का प्रपत्र अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

7–आवेदन पत्रों का पंजी में संधारण :– प्रत्येक ग्राम पंचायत के नियोजन इकाई के द्वारा शिक्षक नियोजन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का ब्यॉरा पंजी में संधारित किया जायेगा। पंजी के प्रत्येक पृष्ठ पर सचिव तथा शिक्षक सदस्य का तिथि युक्त हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। नियोजन इकाई के सचिव के द्वारा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को आवेदन पत्रों की प्रविष्टि के उपरान्त पंजी को क्लोज कर दिया जायेगा एवं संबंधित नियोजन इकाई के सचिव तथा शिक्षक सदस्य के द्वारा उसे अनिवार्य रूप से हस्ताक्षरित कर दिया जायेगा। इसी प्रकार मेधा सूची एवं काउंसेलिंग हेतु अलग–अलग पंजिका संधारित किया जायेगा। पंचायत समिति तथा नगर निकायों में प्राप्त आवेदन पत्रों का संधारण, मेधा सूची का निर्माण आदि कम्प्यूटर में भी किया जायेगा।

8–पूर्व के नियोजित शिक्षकों द्वारा आवेदन :– राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में पूर्व के नियोजित शिक्षक, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हों के द्वारा दूसरे नियोजन इकाईयों में नियोजन हेतु उचित स्त्रोत (नियोजन पदाधिकारी) के अग्रसारण से आवेदन दिया जा सकेगा। बिना उचित स्रोत से प्राप्त आवेदन को रद्द किया जा सकेगा। ऐसे आवेदकों का किसी नियोजन इकाई में किया गया नया नियोजन प्रथम नियोजन माना जायेगा और कोई लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

9–मेधा सूची की तैयारी एवं प्रकाशन :– प्रत्येक नियोजन इकाई के द्वारा नियमों के आलोक में मेधासूची तैयार की जायेगी। निर्धारित तिथि को मेधासूची का प्रकाशन (प्रत्येक कोटि में) किया जायेगा। अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र दिये जायेंगे, जिसके आधार पर मेधासूची तैयार की जायेगी। अभ्यर्थी के द्वारा दिये गये स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों एवं अंक पत्रों का मिलान एवं जाँच निर्धारित तिथि को की जायेगी। इस हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक नियोजन ईकाई के लिए प्रमाण पत्रों की जांच का केन्द्र/स्थल निर्धारित किया जायेगा।

10–राष्ट्रीय संस्थानों/प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्रों की मान्यता :– शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय संस्थानों के द्वारा प्रदत्त उपाधी/प्रमाण पत्र को शिक्षक नियोजन हेतु अमान्य किये जाने संबंधी विभिन्न आदेशों/निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

11–नियोजन हेतु अभ्यर्थी को नियोजन पत्र निर्गत करना :–अंतिम रूप से प्रकाशित मेधासूची के बाद एवं मूल प्रमाण पत्रों मिलान के आधार पर नियमों के अन्तर्गत जिला द्वारा प्रदत्त आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए चयनित सूची तैयार कर चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र भेजा जायेगा। नव नियोजित शिक्षक को योगदान कराने के उपरांत उनके शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/टी0 ई0 टी0 प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से कराने के उपरांत ही वेतन भुगतान किया जायेगा। जांच करने की जिम्मेदारी संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव की होगी। उसमें शिक्षा विभाग के पदाधिकारी द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि नियोजन नियमावली के अनुसार प्रत्येक बार रिक्ति के अनुसार ही चयनित अभ्यर्थी को नियोजन पत्र निबंधित डाक द्वारा भेजा जायेगा।

नियोजन पत्र प्राप्ति के बाद निर्धारित अवधि के अन्दर संबंधित अभ्यर्थी पदस्थापन वाले विद्यालय में योगदान कर लेंगे।

12– **अपीलीय प्राधिकार** :– शिक्षक नियोजन से संबंधित शिकायतों का निष्पादन बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारी–शिकायत निवारण नियमावली--2015 के तहत जिला स्तर पर पदस्थापित जिला अपीलीय प्राधिकार के द्वारा किया जायेगा। पूर्व के लंबित अपील के मामले पूर्व की नियमावली के आलोक में निष्पादित किया जायेगा।

13–**शिक्षक नियोजन का अनुश्रवण एवं प्रतिवेदन** :– शिक्षक नियोजन की कार्रवाई का अनुश्रवण प्रत्येक स्तर से किया जायेगा तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जिलावार नियोजन की सूचना विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।

नियोजन से संबंधित उक्त कार्यक्रम में विभाग के पूर्वानुमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। साथ ही, यदि किसी नियोजन ईकाई के द्वारा शिक्षकों का विभाग के पूर्वानुमति के बिना निर्धारित समय तालिका से हटकर नियोजन किया जाता है, तो ऐसे नियोजन को विभाग द्वारा मान्यता नहीं दी जायेगी, और तदनुरूप अनुवर्ती कार्रवाई की जायेगी।

उक्त पृष्ठभूमि में नियोजन के कैलेण्डर को दृढ़ता से लागू किया जाए तथा निर्धारित तिथि तक पूर्व प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0 / –
उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–7 / विविध–25 / 2019 .... / पटना, दिनांक–.. /

प्रतिलिपिः–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी महापौर, नगर निगम / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक / सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी / कार्यपालक पदाधिकारी / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी / सभी अध्यक्ष नगर परिषद् / नगर पंचायत / सभी कार्यक्रम पदाधिकारी (शिक्षा) / सभी प्रमुख, पंचायत समिति / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी / सभी मुखिया ग्राम पंचायत / सभी ग्राम पंचायत के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –
उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–7 / विविध–25 / 2019 .... / पटना, दिनांक–.. /

प्रतिलिपिः–राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् / निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / सभी सदस्य जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार / आप्त सचिव, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –
उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–7 / विविध–25 / 2019 864....... / पटना, दिनांक- 05.07.2019 .... /

प्रतिलिपिः–आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग।

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

अधिसूचना

(शुद्धि पत्र)

संचिका सं0–7 / विविध–51 / 2019 .... /   पटना, दिनांक–......................

विभागीय अधिसूचना संख्या 864 दिनांक 05.07.2019 के द्वारा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ष 2019–20 में शिक्षकों के नियोजन के संबंध में मार्गनिदेश निर्गत किए गए थे। इस संबंध में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। प्राप्त अभ्यावेदनों की समीक्षा विभाग द्वारा गठित समिति के द्वारा की गयी। समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में उक्त अधिसूचना को निम्नवत् संशोधन किया जाता है :–

उक्त अधिसूचना की कंडिका संख्या–2 निम्नवत् होगी :–

(1) **नियोजन हेतु अर्हता तथा शिक्षक पदों की गणना एवं वितरण** :– नियोजन हेतु शिक्षक पदों की गणना प्राथमिक कक्षाओं (वर्ग I से V) के लिए अलग तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (वर्ग VI से VIII) के लिए अलग की जायेगी। नियोजन की अर्हता संगत नियमावली–2012 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 1097 दिनांक 22.08.2019 के अनुरूप होगी। उक्त नियमावली के तहत प्रशिक्षित एवं टी0 ई0 टी0 अर्हताधारित अभ्यर्थी ही नियोजन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक–837 दिनांक–02.07.2019 के आलोक में बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (BETET) 2012 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के उत्तीर्णता प्रमाण पत्र के वैधता की अवधि अगले दो वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है।

प्राथमिक कक्षाओं के लिए निम्नांकित तीन विषयों के शिक्षक पद के नियोजन हेतु शैक्षणिक योग्यता निम्नवत होगी :–

(क) सामान्य विषय के शिक्षक
(ख) उर्दू भाषा के शिक्षक
(ग) बंगला भाषा के शिक्षक

उपर्युक्त कंडिका (क), (ख) एवं (ग) के शिक्षकों के नियोजन हेतु शैक्षणिक अर्हता बिहार पंचायत / नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2012, (यथा संशोधित) एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 1097 दिनांक 22.08.2019 के अनुरूप होगी।

इसी प्रकार उच्च प्राथमिक कक्षाओं (मध्य विद्यालय) के लिए आवश्यकतानुसार निम्नांकित विषयों के पद पर शिक्षकों के नियोजन हेतु शैक्षणिक योग्यता निम्नवत होगी :–

(क) स्नातक गणित एवं विज्ञान के शिक्षक (शैक्षणिक योग्यता) :–

(i) गणित, भौतिकी, रसायन में स्नातक

अथवा

(ii) रसायन, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान में स्नातक

अथवा

(iii) बी0 सी0 ए0 योग्यताधारी

अथवा

(iv) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियावधि) विनियमन, 2014 के तहत इजीनियरिंग से स्नातक, जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, को बी0एड0 में नामांकन हेतु पात्रता निर्धारित की गयी है। तद्नरूप वैसे अभ्यर्थी, जो इन्जीनियरिंग से स्नातक, जिसमे विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, तथा बी0एड0 एवं TET उत्तीर्ण हों, को "स्नातक गणित एवं विज्ञान" विषय मे मध्य विद्यालय के शिक्षक के पद पर नियोजन की पात्रता होगी।

(v) B.Sc. (Bio-Technology) एव B.Sc. (Electronics) योग्यताधारी को विज्ञान एवं गणित विषय में मध्य विद्यालय के शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु उनके शैक्षणिक योग्यता की मान्यता देने के संबंध मे NCTE से प्राप्त दिशा–निर्देश के अनुसार यदि आवदेक का B.Ed. मे नामांकन B.Sc. (Electronics) एवं B.Sc.

(Bio-Technology) शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हुआ हो और गणित अथवा विज्ञान (भौतिकी / रसायन / जीव विज्ञान) में से कोई एक Method Paper के रुप में पढ़ा गया हो तो, उक्त शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मध्य विद्यालय में गणित / विज्ञान शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु मान्यता दी जाती है।

(ख) स्नातक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक (शैक्षणिक योग्यता–

(i) इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र में स्नातक स्तर में किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो

अथवा

(ii) बी0 कॉम

(ग) स्नातक भाषा के शिक्षक (शैक्षणिक योग्यता– हिन्दी के लिए स्नातक स्तर पर पठित हिन्दी विषय अर्थात सहायक विषय अथवा प्रतिष्ठा के रूप में रखा गया हो तथा अंग्रेजी के लिए स्नातक स्तर पर पठित अंग्रेजी विषय अर्थात सहायक विषय अथवा प्रतिष्ठा के रूप में रखा गया हो।

(घ) संस्कृत भाषा के शिक्षक (संस्कृत में स्नातक / शास्त्री की डिग्री)

(ङ) उर्दू शिक्षक (शैक्षणिक योग्यता–आलीम की डिग्री अथवा उर्दू भाषा में स्नातक)

2. इसके अतिरिक्त जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ नियोजन प्रक्रिया की समीक्षा में यह पाया गया है कि अपरिहार्य कारणों से नियोजन की विभिन्न गतिविधियों में जिला स्तर पर विलंब के कारण समय–सीमा का अनुपालन कुछ जिलों द्वारा नहीं किया जा सका है। अतः सूचारू रूप से नियोजन की प्रक्रिया को पूर्ण कराने हेतु अधिसूचना संख्या 864 दिनांक 05.07.2019 की कंडिका–1 में अंकित नियोजन हेतु समय–तालिका में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:–

नियोजन हेतु संशोधित समय तालिका

क्र0 सं0	विवरण	दिनांक
i	जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियो का राज्यस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिनांक–25.07.2019 तक
ii	रिक्तियों का समेकन	दिनांक–29.07.2019 तक
iii	नियोजन से जुड़े कर्मियों का जिला एवं प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिनांक–03.08.2019 से 05.08.2019 तक
iv	जिला द्वारा रोस्टर का अनुमोदन एवं नियोजन इकाईयों को प्रेषण	दिनांक–09.09.2019 तक
v	सभी नियोजन इकाईयों द्वारा नियोजन हेतु सूचना का प्रकाशन	दिनांक–13.09.2019
vi	आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि	दिनांक–18.09.2019 से 17.10.2019 तक
vii	मेधा सूची की तैयारी	दिनांक–18.10.2019 से 04.11.2019 तक
viii	मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन	दिनांक–10.11.2019 तक
ix	मेधा सूची का प्रकाशन	दिनांक–14.11.2019 तक
x	मेधा सूची पर आपत्ति	दिनांक–15.11.2019 से 29.11.2019 तक
xi	आपत्तियों का निराकरण	दिनांक–04.12.2019 तक
xii	मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन	दिनांक–07.12.2019
xiii	जिला द्वारा पंचायत एवं प्रखंड के मेधा सूची का अनुमोदन	दिनांक–31.12.2019 तक
xiv	नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनीकरण	दिनांक–04.01.2020 तक
xv	आवेदन के साथ संलग्न स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्र से मिलान एवं चयन सूची का निर्माण	दिनांक–06.01.2020 से 13.01.2020 तक
xvi	नियोजन इकाई द्वारा नियोजन पत्र निर्गत करना	दिनांक–16.01.2020 से 20.01.2020 तक

3. अधिसूचना संख्या 864 दिनांक 05.07.2019 में अंकित शेष प्रविष्टि यथावत् रहेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –

उप सचिव,

शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–7 / विविध–51 / 2019 1098 / पटना, दिनांक– 22.08.19 /

प्रतिलिपिः–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी महापौर, नगर निगम / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक / सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी / कार्यपालक पदाधिकारी / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी / सभी अध्यक्ष नगर परिषद् / नगर पंचायत / सभी कार्यक्रम पदाधिकारी (शिक्षा) / सभी प्रमुख, पंचायत समिति / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी / सभी मुखिया ग्राम पंचायत / सभी ग्राम पंचायत के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/8/19

उप सचिव,

शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 3610 दिनांक 27/8/19

प्रतिलिपि – सभी संबंधित नियोजन इकाई नालंदा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

26/8/19

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०)

शिक्षा नालंदा